

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 28/2024

पीठासीन अधिकारी - कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

प्रार्थनी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुनीदेवी पत्नि हमीराराम जाति जाट निवासी विरड़ासर तहसील चौहटन		1. लुणाराम पुत्र चोथाराम जाति सुथार निवासी झिझनीयाली तहसील फतेहगढ़ 2. गेमरसिंह 3. आम्बसिंह पि. प्रतापसिंह 4. छगनकंवर पत्नि खुमाणसिंह 5. मोतीसिंह पुत्र खुमाणसिंह 6. नवलसिंह 7. पुनमसिंह 8. पुरखसिंह पि. दीपसिंह 9. माणकवर पत्नि दीपसिंह जाति राजपुत निवासी डुगरपुरा तहसील चौहटन 10. जयसिंह 11. हाकमसिंह पि. भेरसिंह जाति राजपुत निवासी दुधवा खुर्द तहसील चौहटन 12. रतनलाल पुत्र वेदमल जाति सोनी निवासी चौहटन तहसील चौहटन 13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. चौहटन 14. शाखा प्रबन्धक आर. एम.जी.बी. राणीगांव 15. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण -

प्रार्थनी वकील -

श्री जगदीश पोटलिया

विप्रार्थी सं. 01 व 11 वकील -

श्री जबरसिंह राठौड़



निर्णय

दिनांक :- 15/4/25

प्रार्थनी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थनी व विप्रार्थीगण के खातेदारी व काब्जा काश्त का खेत ग्राम डुगरपुरा तहसील चौहटन में खसरा सं. 547/291 रकबा 0.8094 व विप्रार्थी सं. 1 का खसरा संख्या 410/291 रकबा 4.6782 हैक्टेयर, विप्रार्थी सं. 2 का खसरा संख्या 515/409 रकबा 4.2087 हैक्टेयर, विप्रार्थी सं. 3 का खसरा संख्या 516/409 रकबा 4.2087 हैक्टेयर, विप्रार्थी सं. 4 से 9 का खसरा संख्या 409/291 रकबा 4.2087 हैक्टेयर व विप्रार्थी सं. 10 से 12 का खसरा संख्या 411/291 रकबा 2.4686 हैक्टेयर का आमा हुआ है।




उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीनी द्वारा खेत खसरा संख्या 547/291 रकबा 0.8094 हैक्टेयर दिनांक 04.05.2017 को जरिये पंजीयन दस्तावेज के कय किया गया। उक्त पंजीयन दस्तावेज की पालना में ग्राम पंचायत सणाउ ने नामान्तरण संख्या 313 जरिये प्रार्थीनी के नाम से खोला गया एवं पंजीयन दस्तावेज में दर्शाये गये सेढा पड़ोस अनुसार कब्जा सुपुर्द किया गया तथा पंजीयन दस्तावेज की पालना में खोले गये नामान्तरण संख्या 313 के पुस्त भाग पर उसी कब्जे अनुसार तरमीम का अकन किया गया। उक्त तरमीम सड़क पर 10 जरीब लंबाई में थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते वक्त मौके पर तरमीम पंजीयन दस्तावेज में दर्शाये गये सेढा पड़ोस व नामान्तरण के पुस्त भाग में नक्शा अनुसार नहीं कर गलत कर दी गई। प्रार्थीनी नामान्तरण संख्या 313 के पुस्त भाग पर संलग्न नक्शे व आवेदन के साथ पेश परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह तरमीम दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 01 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री जबरसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल रिपोर्ट प्राप्त बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तरमीम दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार चौहटन से की गई। तहसीलदार चौहटन के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/248 दिनांक 24.02.2024 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 11 के वकील ने प्रार्थीनी के आवेदन का जवाब पेश नहीं कर तरमीम दुरुस्ती मौका रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' अनुसार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरुस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट में परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।



अधिवक्ता
तहसीलदार चौहटन

अतः न्यायहित में प्रार्थनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा डूंगरपुरा (सणाऊ) तहसील चौहटन में खसरा संख्या 547/291 रकबा 0.8094 हैक्टर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में सलंगन परिशिष्ट "अ" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

14. श्रीमान शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी. वी राणीगाव

15. श्रीमान तहसीलदार चौहटन

सुनी